इस्पात, साबुन और धागे पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि

6462. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्रीमती सरला माहेश्वरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैंक यार्न, विस्कास यार्न, स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं और विद्युत के प्रयोग के बिना ही बनाये जाने वाले साबुन सहित किन-किन वस्तुओं पर पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 के बजट प्रस्तावों में उत्पाद शुल्क लगाया गया है और 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन मदों पर उत्पाद शुल्क के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेनलैस स्टील उद्योग में कार्यरत श्रमिकों ने उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि को लेकर भूख हड़ताल की है और यदि हां, तो सरकार ने उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) बिजली की सहायता के बिना बनायी गई मदों सहित उन मदों के नाम जिनकी भारी राजस्व संभाव्यता होती है और जिन पर छूट को समाप्त कर दिया गया है, वित्त विधेयक 1994 में उपबंधों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में उपलब्ध हैं। पूरे ब्यौरों के लिए 1994-95 के बजट प्रस्तावों में विभिन्न मदों पर उत्पाद शुल्क से छूट समाप्ति करने संबंधी उन अधिसूचनाओं को देखा जा सकता है जिन्हें सभापटल पर रख दिया गया है। उन मदों के संबंध में वर्ष 1993-94 के दौरान कोई राजस्व वसूली नहीं हुई होगी जिन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए इन मदों के संबंध में राजस्व आंकड़े केवल वित्तीय वर्ष के अंत में ही उपलब्ध होंगे।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार स्टेनलैस स्टील पत्ती/पत्ता के विनिर्माताओं के बजट के बाद विनिर्माण कार्य बंद कर दिया था। यह मालूम नहीं है कि क्या उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण ही श्रमिकों ने भूख हड़ताल की थी। सरकार ने पत्तियों/पत्तों के विनिर्माताओं के लिए संयुक्त उद्ग्रहण की योजना का प्रस्ताव करके स्टेनलैस स्टील पत्तियों/पत्तों के विनिर्माताओं को पहले ही राहत प्रदान की है।

Guidelines for Brokerage Firms

6463. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a number of existing brokerage firms are intending to convert their membership into corporate membership as a sequel to Government's policy of regulating the stock exchanges;

(b) whether Government have formulated any guidelines/rules for assessment of capital gain, in regard to assets and membership card when transferred to corporate body;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) by when Government propose to formulate the guidelines/rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has indicated that it has registered 11 cases wherein individual stock-brokers have converted into corporate membership. Government do not have any specific information whether a number of stock-broking firms are intending to convert their membership into corporate membership.

(b) to (d). The existing legal position is that all assets which are capital assets within the meaning of section 2(14) of the Income-tax Act, 1961 will, on transfer, be liable for capital gains tax in accordance with the existing provisions of section 45 to 55A, and 112 of the Income-tax Act, 1961. As it is possible to classify the membership in a stock exchange as a capital asset, it will be liable to capital gains tax in the manner indicated above.